



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243599
CG-DL-E-14022023-243599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]
No. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 95(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962, परिसिस्ट II में, आई. टी. आर. 7 के लिये, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप आ.क.वि- 7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	2	3	-	2

भाग क-साधारण

व्यक्तिगत सूचना

(क1)नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)				(क2)स्थायी लेखा संख्यांक			
(क4)फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं0		(क5)परिसर/भवन/ग्राम का नाम		(क3)विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)			
(क6)सड़क /मार्ग/डाक घर		(क7)क्षेत्र/अवस्थान		(क11) प्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)			
(क8)नगर/शहर/जिला		(क9)राज्य	(क10)पिन कोड /जिप कोड	(क12) उपप्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)			
(क13)कार्यालय का दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.		(क14)फैक्स सं. / मोबाइल सं.2		(क15)ई मेल पता 1			
(क16)ई मेल पता 2							
(क17)(i) विवरणी प्रस्तुत की गई धारा ☐ 139(4क) ☐ 139(4ख) ☐ 139(4ग) ☐ 139(4घ) ☐ अन्य							
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (झापडाउन दें)							
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे							
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)				
1							
2							
3							
4							
(क19)आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब निर्यात पंजीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)							
क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम पंजीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिफ रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण /अनंतिम पंजीकरण / अनुमोदन प्रभावी है		
1							
2							
3							
4							
(क20) आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरणया अनुमोदन के ब्यौरे (विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, 2010 नीति आयोग के दर्पण पर पंजीकरण तथा सेवा के साथ पंजीकरण)							
क्रम सं.	जिस पोर्टल पर पंजीकृत है वह विधि अधीन	'किसी अन्य विधि' के मामले में विवरण दें	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	तिथि जिससे पंजीकरण प्रभावी है।	
1							
2							
3							
4							

		ख								
(क24)	i	क्या वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों/ क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया गया था ?			☐ हां ☐ नहीं					
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-								
		क	उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		____/____/____					
		ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख)/ धारा 12क उपधारा(1) उपधारा के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है		☐ हां ☐ नहीं					
		ग	क्या नया पंजीकरण /अनंतिम पंजीकरण धारा 112कख के अधीन स्वीकृत किया गया है ?		☐ हां ☐ नहीं					
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम पंजीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		____/____/____					
(क25)	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?			☐ हां ☐ नहीं						
(क26)	क्या धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसेवें परंतुक के उपबंध अनुप्रयोज्य है?			☐ हां ☐ नहीं						
(क27)	(i) क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :									
	(ii) किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)									
		क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक का नाम							
		ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक							
		ग	संपरीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)							
		घ	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक/ आधार सं..							
		ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख							
		च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष							
(क28)	(i) यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें ।									
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)					
(क29)	। व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2023 को ए.ओ.पी सदस्यों में थे (पूजी/ विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए ।									
	क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन	आधार संख्या / नामांकन आई. डी (यदि आधार के लिए योग्य है)	प्रास्थिति				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	ii ट्रस्ट या संस्थान के लेखकों/ संस्थापकों/ न्यासियों/ प्रबंधकों आदि के संबंध में विवरण (आईटीआर-7 दाखिल करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से भरना आवश्यक)									
	क	लेखकों/ संस्थापकों/ अनिवासी/ ट्रस्टी (न्यासी)/ सोसाइटी सदस्य/ अधिशासी परिषद के सदस्य/ निदेशक/ अंशधारक जो 5 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर धारिता/ पदाधिकारी गत वर्ष के दौरान अन्य समय पर धारण किए हैं, का विवरण								
	क्रम सं.	नाम	संबंध	शेयर होल्डर के मामले में शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	क्या भारत का नागरिक है?	यूनिक पहचान सं.	आई डी कोड	पता	मोबाईल नंबर	ई मेल पता
	ख	यदि अन्य व्यक्तियों के मामले में (जैसे कि उपर्युक्त पंक्ति क में वर्णित है) वे व्यक्ति नहीं हैं तो उन नैसर्गिक व्यक्तियों का जो इस व्यक्ति का लाभकारी स्वामी है, गत वर्ष के दौरान किसी अन्य समय में विवरण दें।								
	क्रम सं.	नाम	क्या भारत का नागरिक है?	यूनिक पहचान सं.	आई डी कोड	पता	लाभकारी स्वामित्व का प्रतिशत			

सदस्य की जानकारी

ग	उन व्यक्तियों का नाम जिसने धारा 13(3)(ख) के अनुसार गत वर्ष के दौरान ट्रस्ट (न्यास)/ संस्थान में पर्याप्त योगदान किया है।		
क्रम सं.	नाम व पता	पैना	आधार सं./ नामांकन आई डी (यदि उपलब्ध है)
घ	किसी अन्य समय पर गत वर्ष के दौरान लेखकों, संस्थापकों, ट्रस्टी, प्रबंधकों के संबंधियों के नाम तथा पर्याप्त योगदान कर्ताओं एवं जब ऐसे लेखक, संस्थापक, ट्रस्टी, प्रबंधक या पर्याप्त योगदान कर्ताओं एवं जब ऐसे लेखक, संस्थापक, ट्रस्टी, प्रबंधक या पर्याप्त योगदानकर्ता हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उनके परिवार के सदस्यों के नाम तथा संबंधियों का विवरण		
क्रम सं.	नाम व पता	पैना	आधार सं./ नामांकन आई डी

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची 3		धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 10(23ग)/10(21) धारा 35(1) के साथ पठित के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्याँरे												
संचयन का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा गत वर्षों के दौरान परोपकारी धार्मिक प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त राशि	अनुपयुक्त राशि	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित किसी न्यास या संस्थान को भुगतान या दी गई राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति में निवेशित या जमा राशि	धारा 11(5) के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिर्दिष्ट रीति के अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में राशि जिस का उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(राशि जिसे आय माना गया) धारा 11 की उपधारा (3) की आय के भीतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)	(9)	(10)	(11) = 7-8-9-10	(12)	(13)	(14)	(15) = 9+10+13+14
2016-17														
2017-18														
2018-19														
2019-20														
2020-21														
2021-22														
2022-23														
योग														

अनुसूची आई.ए		धारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण					
वि. व	नि. व.	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रु. अंकों में)					
	संचयन वर्ष (वित्त वर्ष)	2018-19 (क)	2019-20 (ख)	2020-21 (ग)	2021-22 (घ)	2022-23 (ङ)	कुल (च) (क+ख+ग+घ+ङ)
	2016-17						
	2017-18						
	2018-19						
	2019-20						
	2020-21						

	ii. 01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा									
	iii. (i) एवं (ii) के अलावा									
	योग									
अ 2	ऋण और उधार का विवरण									
	01.04.2022 को प्रारंभिक शेष (1)	वर्ष के दौरान उद्देश्यों की ओर आवेदनों के लिए लिया गया ऋण व उधार (2)	वर्ष के दौरान न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त (3)	वर्ष के दौरान ऋण या उधार की चुनौती की राशि (जो पहले प्रयुक्त तथा अनुप्रयुक्त के अनुसार अदावाकृत) (4)	वित्त वर्ष जिसमें (4) पहले अनुप्रयुक्त हुआ (5)	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल चुकौती (6)	31.03.2022 को समाप्ति बकाया (7) (1+2-6=7)			

आ	धारा 11(5) के तहत 31.03.2023 को निवेशित/जमा कोष का विवरण						
क्र.सं.	निवेश से बाहर	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान	विनिधान की तारीख		विनिधान की रकम		
i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के प्रतिनिधित्व को कोष	ड्रापडाउन दें (कृपया प्रकृति निर्दिष्ट करें)					
ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष						
iii	(i) एवं (ii) के अलावा						
iv	योग						
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दि-ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसे ☒ करें)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
ii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iv		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
v		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
vi		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
	योग						
ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग		धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
i		☐ हां ☐ नहीं					
ii		☐ हां ☐ नहीं					
iii		☐ हां ☐ नहीं					
iv		☐ हां ☐ नहीं					
v	योग						
उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दि-ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है						
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मददे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		

i					
ii					
iii					
iv	योग				

भाग क-खध

31 मार्च, 2023 को समेकित संतुलन पत्र

निधियों का स्रोत	क	कोष स्रोत			
	1	कोष स्वामित्व			
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क		
	ख	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1ख		
	ग	(क) एवं (ख) के अलावा प्राप्त कोष	1ग		
	घ	धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ		
	ड	डीमड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीमड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 से आगे आवेदित	1ड		
	च	कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)			
		i प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		ii प्रकृति निर्दिष्ट करें	i		
		iii कुल (क + कii.)	1चiii		
	छ	कुल कोष (क + ख + ग + घ + ड + च)	1छ		
	2	ऋण व उधार			
	क	सुरक्षित ऋण	क		
	ख	असुरक्षित ऋण (जमा सहित)	ख		
	ग	कुल ऋण कोष (क + ख)	2ग		
	3	अग्रिम	3		
	4	कोष स्रोत (1च + 2ग + 3)	4		
निधियों का प्रयोग	ख	निधियों का अनुप्रयोग			
	1	अचल आस्तियां			
	क	सकल अचल आस्तियां	1क		
	ख	मूल्यहास	1ख		
	ग	शुद्ध अचल आस्तियां (1क - 1ख)	1ग		
	2	निवेश	2		
	3	वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
	क	वर्तमान आस्तियां			
	i	माल	i		
	ii	विविध देनदार	ii		
	iii	नकद व बैंक बैलेंस			
	क	बैंक में बैलेंस	iii क		
	ख	पर्याप्त नकदी	iii ख		
	ग	अन्य	iii ग		
	घ	कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)	iii घ		
	iv	अन्य वर्तमान आस्तियां	iv		
	v	कुल वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii घ + iv)	कv		
	ख	ऋण व अग्रिम	ख		
	ग	कुल (कv + ख)	ग		
	घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान			
	i	वर्तमान देनदारी			
	क	विविध लेनदार	क		
	ख	अन्य लेनदार	ख		
	ग	कुल (क + ख)	ग		
	ii	प्रावधान	ii		
	iii	कुल (ग + ii)	घiii		
	ड	शुद्ध वर्तमान आस्तियां (4ग - 4घiii)	3ड		
	4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)	4		
	5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3+4ड)	5		
	6	5 के अलावा, धारा 11(5) के तहत विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश	6		
	7	5 के अलावा, धारा 11(5) के तहत विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश	7		

अनुसूची आर		कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान	
विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(क) तथा (ख) की अलावा कोष
	(1)	(2)	(3)
क. अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2023 को समापन शेष			
ख. अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)			
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय			
ii) मूल्य अवक्षरण			
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)			
ग. बैलेंस शीट क+ख के अनुसार 31.03.2023 को समापन शेष			

अनुसूची टक		राजनैतिक दल	
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है? ☐ हां ☐ नहीं		
	क यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।		
	ख पंजीकरण तारीख	/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	☐ हां ☐ नहीं	
	क यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं	
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हां ☐ नहीं	
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें ☒)	☐ हां ☐ नहीं	
	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथी/माह/वर्ष)	/...../.....	
5	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं	
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं	
6	क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	☐ हां ☐ नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:		
	क वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + ग + घ)	7क	
	ख वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक कुल योगदान 2000रु. से कम प्राप्त का कुल मूल्य	7ख (खi+खii)	
	i. नकद में	7खi	

	ii. नकद के अलावा अन्य मोड़	7खii	
ग	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 2,000रु. से 20,000रु. के बीच प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7ग	
घ	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रु. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची ईटी

निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों(छ) का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार छ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार छ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसा लागू हों छ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशे-1	i
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v
	vi	योग (iv+v)	vi
	Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशे-1	Viii

अनुसूची वीसी

स्वैच्छिक अभिदाय (आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)					
	i	समग्र संदान			आi	
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आंक			
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आंख			
	ii	समग्र संदान के अतिरिक्त			आii	
		(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान			
		(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान			
		(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान			
		(घ)	अन्य संदान			
		(ङ)	कुल		आiiङ	
iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiiङ)			आiii		
आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)					
	i	समग्र निधि संदान			आ i	
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आ iंक			
ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आ iख				

	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
	iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आ iii	
	iv	प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया	आ iv	
इ		कुल अभिदाय (आiii + आii)	इ	
ई		अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग) (vik) या 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiकड़) के अधीन छूट का दावा कर रहा है]		
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vik)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
		प्रकृति	रकम	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क	
	ख		ख	
	ग		ग	
	घ		घ	
	ड	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ड	
10		कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9) (कृषि आय के अलावा)	9ड	
			10	

अनुसूची-ए

न्यास/ संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारिती द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(vik) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]

अ	ट्रस्ट/संस्थान के व्यय का आवेदन	राजस्व	पूंजी	कुल
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vik) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान	1		
2	धार्मिक	2		
3	गरिबों के लिए अनुतोष	3		
4	शिक्षा	4		
5	योग	5		
6	चिकित्सा अनुतोष	6		
7	पर्यावरण संरक्षण	7		
8	समारकों आदि का संरक्षण	8		
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9		
10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता	10		
11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत	11		
12	कुल (अ 1 से अ 11)	अ 12		
आ	ग2 से ग7 (ख1 + ख2 + ख3 + ख4 + ख5 + ख6 + ख7 + ख8) पर निधि के स्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए	आ		
1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vik) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1		

	2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2			
	3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं हैं।	3			
	4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4			
	5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5			
	6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6			
	7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7			
	8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8			
ई		पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का खोत	ई			
	1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1			
	2	पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2			
	3	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय (केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दावा किया हो)	3			
	4	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4			
	5	कॉर्पस	5			
	6	उधार ली गई निधि	6			
	7	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7			
ई		पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई			
उ		'ई' के बाहर गत वर्ष के दौरान राशि जो वास्तव में भुगतान नहीं की गई।	उ			
ऊ		राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ			
ए		आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए			

अनुसूची आई.ई-1	आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन				
	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1		
	2	संस्था के उद्देश्य के मददे आय का उपयोगन	2		
	3	संचित आय	3		

अनुसूची आई.ई-2	आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)				
अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1		
	2	संस्था के उद्देश्य के मददे आय का उपयोगन	2		
	3	संचित आय	3		
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं			
	क	गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1क	☐ हां ☐ नहीं	
	ख	कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1ख	☐ हां ☐ नहीं	
	ग	पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1ग	☐ हां ☐ नहीं	
	घ	अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1घ	☐ हां ☐ नहीं	

अनुसूची आई.ई-3	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारितियों के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकख) या 10(23ग)(iiiग)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):				
1	संस्था के उद्देश्य (झापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):				
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं				
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां				
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान				
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम				
6	संचित अतिशेष				

अनुसूची आई.ई-4	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारितियों के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iiiकघ) या 10(23ग)(iiiड)] के अधीन छूट का दावा कर रहा है (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें):				
1	संस्था के उद्देश्य (झापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):				

2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
	I					
	II					
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (यदि उपलब्ध हों)	किरायदार(रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)	
	I					
	II					
	क सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य					1क
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					1ख
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					1ग
	घ योग (1ख + 1ग)					1घ
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)					1ङ
	च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)					1च
	छ 1च का 30%					1छ
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					1ज
	झ योग (1छ + 2ज)					1झ
	ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया					1ञ
	ट गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ - 1ज + 1ञ)					1ट
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	देश	पिन कोड / जिप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें) संपत्ति में अंश की प्रतिशतता						
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
I						
II						
[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किरायदार (रों) का पैन/टैन/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)		
I						
II						
क सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)					2क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					2ख	
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					2ग	
घ योग (2ख + 2ग)					2घ	
ङ वार्षिक वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)					2ङ	
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)					2च	
छ 1च का 30%					2छ	
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					2ज	
झ योग (2छ + 2ज)					2झ	
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया					2ञ	

6	ग	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii							
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv							
		शे-1 (5 क iii- ख iv)	5 ग								
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लामांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ							
		ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ङ + 3 च)	क 5 ङ							
		क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-							
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क						
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख						
			ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 ग के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग						
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii								
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii								
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii							
		iv	योग (i + ii + iii)	ख iv							
	ग	शे-1 (6 क iii - ख iv)	6 ग								
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लामांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ								
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ								
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छ के अधीन कटौती	6 च								
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग + 6 घ + 6 ङ + 6 च)	क 6 छ								
7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
8	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं									
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं						
		i	2019-20	54 घ/54 छ/54 छक	वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं						
					पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि						
					नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि						
		ख धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + ख)									
8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भर्ने) (क8क+ क8ख+क8ग)										
9	क	15% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8क								
		30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ख								
		लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क8ग								
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:										
10	क	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या (9))
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		क डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									
		ख डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4 ख+ क5 ङ+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)										
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)										
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	1	यू या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)									
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का i						
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	का ii						
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य यदि (का ii) 1.10 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (का ii) लें।	का iii						
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							

		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv					
		ग	शीर्ष (क iii – ख iv)				1 ग					
		घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				1 घ					
		ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)						ख 1 ड			
		च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)									
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य			
		टिप्पण ►	यदि कर धारा 194इक के अधीन काटा गया है तो पैन/आधार नं.देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।									
2	स्लम्य बिक्री से											
		क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2कi					
			ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2कii					
			iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)			2कiii					
		ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख						
		ग	शे-1 (2कiii – 2 ख)			2 ग						
		घ	धारा 54ड ग के अंतर्गत कटौती			2 घ						
		ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)				ख 2 ड					
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)											
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii					
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii					
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv					
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क – 3 ख iv)					ख 3 ग					
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।											
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				4क					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i						
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii						
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii						
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv						
ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)					ख 4 ग						
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है											
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ										ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)											
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ										ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा)											
		क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-								
				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			i क				
				ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य			i ख				
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)			i ग						
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य			क ii						
	iii	कुल (iग + ii)			क iii							
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii					
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii					
iv			योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv						
ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)						ख7ग					

8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ		ख8
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्योरा दीजिए:-
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य
		ख	विहित सीते से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य
		ग	पूँजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य
		iii	कुल (iग + ii)
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां	
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)
	ग	वर्ष (9 क iii - खiv)	
	घ	धारा 54घ/धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	
	ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	
			ख 9 ङ
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्योरा उपलब्ध कराएं	
	क्रम सं.	पूर्व वर्षों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।
	i	2019-20	54घ/54छ/54छक
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi + ख)		
			ख10
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 + ख12क2 + ख12ख)		
	क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क1
	क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	ख11क2
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय	ख 11ख
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)		
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है
		देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा
		संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)
		आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर
		लागू दर (6) या(9)	
	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	(6)
	(7)	(8)	(9)
	(10)		
	I		
	II		
	क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय एलटीसीजी की कुल राशि	
			ख12क
			ख12ख
13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ङ + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो खा:3 को शून्य के रूप में लें)		
			ख 13
ग1	पूँजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी कई तालिका ड के 9ii + 9iii + 9iv + 9v + 9vi + 9vii + 9viii)		
			ग1
ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. ख)		
			ग2
ग3	“पूँजीगत अभिलाभ” शीर्ष के तहत प्रभाय आय (ग1 + ग2)		
			ग3
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी		
	1	धारा 54घ / धारा 54ङ/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्योरे दें।	
	क	धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती	
	i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv
	v	दावाकृत कटौती की राशि	क v

	ख	घारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती										
		i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ख i	दिन/मास/वर्ष			
		ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)					ख ii				
		iii	निवेश की तारीख					ख iii	दिन/मास/वर्ष			
		iv	दावाकृत कटौती की राशि					ख iv				
		ग	घारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती									
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					ग i	दिन/मास/वर्ष			
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					ग ii				
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख					ग iii	दिन/मास/वर्ष			
		iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					ग iv				
		v	दावाकृत कटौती की राशि					ग v				
		घ	घारा 54 छक के अधीन दावाकृत कटौती									
		i	शहरी क्षेत्रसे मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख					घ i	दिन/मास/वर्ष			
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत					घ ii				
		iii	एसईजेड में नई आस्ति के क्रय निर्माण की तारीख					घ iii	दिन/मास/वर्ष			
		iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि					घ iv				
	v	दावाकृत कटौती की राशि					घ v					
			ड	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ)					1 ड			
	ड	पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 12क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीएए के अंतर्गत प्रभार्य नहीं है)										
		क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
15%					30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर		
			1	2	3	4		5	6		7	
i		मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक नकारात्मक हो)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+ आ11क2*)	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ग*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख		
ii		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)								
iii			30%	अ5ड* + अ8ख*								
iv			लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)								
v			डीटीएए दर	अ9ख*								
vi		दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)								
vii			20%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)								
viii			डीटीएए दर	आ12ख								
ix		मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)										
x		मुजराई के बाद शेष हानि (i – ix)										

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।

अनुसूची बी.डी.ए	धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके तहत आय पर कर लगाया जाना है (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (क) धारा 56(2)(x) के तहत राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है (ख) किसी अन्य मामले में पिछले स्वामी की लागत।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. 3घ)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)				1		
	क	लाभांश, सकल (कां + कांii)			1क		
		i	धारा 2(22)(ड) के अधीन लाभांश आय		कां		
		ii	(i) के अलावा लाभांश आय		कांii		
	ख	व्याज, सकल (खां + खांii + खांiii + खांiv)			1ख		
		i	बचत बैंक से	खां			
		ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खांii			
		iii	आयकर प्रतिदाय से	खांiii			
		iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खांiv			
		v	अन्य	खांv			
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग		
	घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है(घा + घांii + घांiii + घाiv + घाv)			1घ		
		i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घां			
		ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांii			
		iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घांiii			
		iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv			
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv			
	ड	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)		1 ड			
	क्रं सं.	प्रकृति		राशि			
		धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय					
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
	ड2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ड		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)					2	
	क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क		
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख		
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			

	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii								
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii								
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv								
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv								
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi								
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य (गां से गxiv का योग)				2ग						
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गां								
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गाii								
	iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसरचनात्मक ऋण निधि	गाiii								
	iv	धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गाiv								
	v	धारा 115क(1)(क)(iikकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गv								
	vi	धारा 115क(1)(क)(iikकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गvi								
	vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvii								
	viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	गviii								
	ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गाix								
	x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	गx								
	xi	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर के लाभांश पर आय	गxi								
	xii	धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कख में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय	गxii								
	xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य	गxiii								
	xiv	धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर	गxiv								
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासथू आय (झापडाउन उपलब्ध किया जाए)				2 घ						
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)				2 ङ						
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1का, 1ख से 1घ, 2क, 2ग और 2घ जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख, 2ग, 2घ और 2ङ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)										
	क	व्यय/ कटौतियां ("ग" में इंदराज के अलावा)					3क				
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध, यदि आय "अनुसूची ओएस" की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख				
	ग	धारा 57(1) के अधीन लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग				
	गां	धारा 57(i) के अधीन योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3गां				
	घ	योग					3घ				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4

5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5	
6	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 4i लें)	6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)	7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय		
	क प्राप्ति	8क	
	ख केवल 8क पर प्राप्ति के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियाँ	8ख	
	ग धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग	
	घ धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ	
	ङ अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियाँ 6xi के अंक प्रविष्टि करें)	8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)	9	
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी		
	क्र.सं.	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक
			16/6 से 15/9 तक
			16/9 से 15/12 तक
			16/12 से 15/3 तक
			16/3 से 31/3 तक
		(i)	(ii)
		(iii)	(iv)
		(v)	
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल, द्युत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय		
2	क्रम सं. 1क (i) में संदर्भित लाभांश पर आय		
3	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)		
4	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय		
5	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाइयों के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट निधि से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)		
6	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय 1क (i) के संबंध में		

अनुसूची ओए	साधारण
	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित व्योरे प्रवि-ट करें)
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)
2	शाखाओं की संख्या
3	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ व्यापारिक ☐ नकद
4	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां
5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव
6	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें) ☐

ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)			
ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं			
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ		

अनुसूची – कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति									
1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)	1							
2क	1 में सम्मिलित असट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में –चिह्न प्रविट करें)	2क							
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में –चिह्न प्रविट करें)	2ख							
3	धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय	क	गृह संपत्ति	3क					
		ख	पूंजी अभिलाभ	3ख					
		ग	अन्य स्रोत	3ग					
		गा	लाभांश आय	3गा					
		गाii	लाभांश आय के अलावा	3गाii					
		घ	धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)	3घ					(अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. क)
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.	4क							
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है								
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क						
	ख	ए.ओ.पी/वी.ओ.ए से आय के शेयर	5ख						
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)							
	i		गा						
	ii		गाii						
	iii	कुल (गा + गाii)	5गाiii						
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गाiii)	5घ							
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3घ - 4- 5घ)	6							
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्षों के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क					
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख					
		ग	अन्य स्रोत	7ग					
8	कुल (7क + 7ख + 7ग)	8							
9	समायोजित लाभ या हानि (6+8)	9							
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण	10							
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण								
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण	11i						
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	11ii						
	iii	कुल (11i + 11ii)	11iii						
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 + 10 - 11iii)	12							
13	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	13							
14	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	14							
15	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	15							
16	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	16							
17	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	17							
18	सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज	18							
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	19							
20	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क के अधीन समझी गई आय	20							
21	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	21							

कारबार या वृत्ति से आय

22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	22		
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	23		
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)		24	
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25		
26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	26		
27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)	27		
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम	28		
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम	29		
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	30		
31	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढत कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव	31		
32	कुल (25+26+27+28+29+30+31+32)		32	
33	आय (12+24+33)		33	
34	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -			
	i धारा 44कड	34i		
35	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (33 + 34)		35	
36	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रवि-ठ करे)		अ36	
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
37	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		37	
38	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन		38	
39	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियां		39	
40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 + 39)		ख40	
ई धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि		41	
42	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार जोड़		42	
43	धारा 28 से धारा 44घख के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ (ii), 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)		43	
44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 + 43)		44	
45	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां		45	
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46)		इ46	
47	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)		इ47	
ई	लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ36+आ40+ इ46)		ई	
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा				
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क36)	
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख40)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग46)		
iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
			कुल हानि (अनुसूची- गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी के (मद 2v)	कुल हानि (अनुसूची-ओ.एस का 6)	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
viii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ix	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xii	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़ दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xiii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
xiv	मुजरा की गई कुल हानि					
xv	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

चालू वर्ष की हानि समायोजन

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	112क से भिन्न धाराएं				
				iii	अन्य स्त्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
				ख	धाराके अधीन				
				ग	धारा.....के अधीन				
				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि				
				का	धारा 111क				
				काii	अन्य				
				ख	दीर्घकालिक अवधि				
				खा	धारा 112क				
				खाii	112क से भिन्न धाराएं				
				iii	अन्य स्त्रोत				
				क	लाभांश				
				ख	अन्य				

पास के माध्यम से आय

					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धाराके अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
टिप्पण ▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।									

अनुसूची एस.आई.विशे-1 दरों से प्रभाय आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	☑	विशे-1 दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एस.टी.सी.जी)	☐	15		
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30		
3	112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	☐	10		
4	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10		
5	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10		
6	112 (अन्य पर एल.टी.सी.जी)	☐	20		
7	112क (कारबार न्यास की साधार शेयरोन्मुख निधि/ यूनिटों के साधारण शेयरों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है	☐	10		
8	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	☐			
9	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐			
10	धारा115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेंसी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	☐	10		
11	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	☐	10		
12	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)	☐	30		
13	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर				
विशेष दर	i कारबार या वृत्ति से आय	☐	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	ii पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	☐	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
14	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60		
15	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
16	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))	
17	15% की दर पर प्रभाय अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	☐	15		
18	30 % की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पासथू आय	☐	30		
19	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	☐	10		
20	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथू आय	☐	20		
21	धारा 112क से भिन्न 10% की दर से प्रभाय दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10		
22	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
			योग		

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv)/ 10(23 ग (v)/ 10(23 ग (vi)/ 10(23 ग (vi)क)]

1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i	
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरणके लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी और 12कख के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii	
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii	
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय	6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर	7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण	9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज	10	
11	आय और संदत्त ब्याज	11	
12	संदाय/प्रत्यपणीय (10 - 11)	12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम		
15	बीएसआर कोड		
16	चालान की क्रम संख्या		
17	जमा की गई रकम		

अनुसूची - खखड		धारा 115खखड के तहत कतिपय संस्थानों की निर्दिष्ट आय	
क्रम सं.	विवरण		राशि
1	धारा 10(23ग) अथवा धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में संदर्भित डीमड आय	1	< अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >
2	धारा 11(1ख) के तहत संदर्भित डीमड आय	2	< अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के तहत आय जिसे डीमड आय माना जाए अथवा जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3	
4	आय जो धारा 10(23ग) के तहत, धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो	4	
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5	
6	संचित आय अथवा आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के तहत अनुमेय नहीं हो	6	
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7	

अनुसूची- एफएसआई

भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग)या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो सीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					

भारत से बाहर होने वाली आय

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दि-ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	कुल				
2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ))				3
4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ग के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए				4
	क	प्रतिदाय कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है	

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

[illegible]

[illegible]

(ii)												
ड	31 दिसंबर, 2022 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
टिप्पण कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।												

अनुसूची एस.एच		असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति						
यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-								
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे								
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम
पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे								

शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्यां	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग - ख

भाग ख- कुल आय तारीख 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

आय का विवरण	भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या 10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi) के तहत छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो			
	1	धारा 115खखग के तहत प्रभाय कोष तथा अज्ञात संदान के अलावा स्वैच्छिक योगदान [अनुसूची वी.सी का (ग- का- खi)]	1	
	2	धारा 115 खखग के तहत प्रभाय कोष तथा अज्ञात संदान के अलावा स्वैच्छिक योगदान का भाग बन रहा है [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)] टिप्पणी: धारा 11 तथा 12 में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन होता है। यह क्षेत्र धारा 143(1) के तहत समायोजन हेतु विचारणीय होगा	2	
	क	धारा 80छ(2)(ख) के तहत अधिसूचित [अनुसूची वी.सी का क + खi] स्थानों के नवीनीकरण एवं मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान	क	
	ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस [अनुसूची वी.सी का क + खi]	ख	
	3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vi) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
	4	धारा 11(1)(ग) के तहत छूट योग्य राशि	4	
	क	बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या	क	
	ख	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	ख	
	5	अनुप्रयोज्य आय (1+2+3-4)	5	
	6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
	i	गत वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क के तालिका की क्रम सं. छ]	6i	
	ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की तालिका ए2 की क्रम सं. 4]	6ii	
	iii	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त राशि कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित अथवा जमा (न्यास या संस्थान के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अस्वीकृत) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की तालिका ए1 का क्रम सं. 4]	6iii	
	iv	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त डीमड राशि	6iv	
	क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	6ivक	
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	6ivख	
	v	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]	6v	
	vi	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में उपर्युक्त iv में संदर्भित राशि के अतिरिक्त राशि-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ -यदि धारा 11(2) व 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है।	6vi	
	vii	कुल [6i +6ii+6iii+6iii+6iv+6v+6vi]	6vii	
7	जोड़े			
i	धारा 115खखग के तहत प्रभाय आय < अनुसूची 115खखग के क्रम सं. 7 का कुल >	7i		

	ii	धारा 11 के तहत आय के संबंध में छूट अज्ञात संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	7ii	
	iii	धारा 12(2) के अधीन प्रयाय आय	7iii	
	iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम अ.सा.प 40(क)(िक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(िक)	7iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुजेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
	vi	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
	Vii	धारा 11(1) धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
	viii	कुल [7i + 7ii+7iii +7iii +7iv +7v + 7vi + 7vii]	7viii	
8	धारा 11(4) के अधीन प्रभाय आय		8	
9	धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vik) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii)+7viii+8]		9	
10	उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय			
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरे यदि हानि)	10i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
	iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय		
		क	अल्पकालिक	10iiiक
		का	15% की दर से अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	का
		काii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	काii
		काiii	दीर्घकालिक प्रभाय अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	काiii
		काiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	काiv
		कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कv
		ख	दीर्घकालिक	10iiiख
		खा	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	खा
		खाii	20% की दर से दीर्घकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	खाii
		खाiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभाय (अनुसूची पूंजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	खाiii
		खाiv	कुल दीर्घकालिक (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	खाiv
		ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (10iiiक +10iiiख) (कv + खाiv) (शून्य भरे यदि हानि हों)	10iiiग
		घ	धारा 115खखज के तहत 30% की दर से प्रभाय पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ
		ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiङ
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)		10iv
	v	कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)		10v
11	सकल आय [9+10]		11	
12	चालू वर्ष में 12v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)		12	
13	कुल आय [11-12]		13	
14	ऐसी आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभाय है (अनुसूची एसआई 1क का योग)		14	
15	13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखज के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)		15	
16	प्रभाय आय जिस पर धारा 115खखज के तहत 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खखज की क्रम सं 7)		16	

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iii कघ), 10(23ग)(iii कड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।					
1	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23कक), 10(23ख), 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट योग्य राशि	1			
2	धारा 10(23ग)(iii कख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iii कघ), 10(23ग)(iii कड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23घख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट योग्य राशि	2			
3	धारा 11(3), धारा 10(21) के साथ पठित, के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का कुल योग]	3			
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	4			
5	चुनावी ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय वर्ष के दौरान स्वेच्छिक अंशदान (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	5			
6	वर्ष के दौरान स्वेच्छिक अंशदान	6			
7	आय शीर्ष				
i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 4] (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7i			
	व्यवसाय या पेशा से लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार]	7ii			
	पूँजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय				
	क अल्पकालिक (अनुसूची पूँजी अभिलाभ का ए5)	7iii क			
	क i अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9ii)	क i			
	क ii 30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9iii)	क ii			
	क दीर्घकालिक प्रभार्य अनुपयुक्त दरों पर (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9iv)	क iii			
	क iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9v)	क iv			
	क v कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	क v			
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची पूँजी अभिलाभ का बी 4) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7iii ख			
	ख i 10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9vi)	ख i			
	ख ii 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9vii)	ख ii			
	ख iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची पूँजी अभिलाभ के मद ई का 9viii)	ख iii			
	ख iv कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	ख iv			
	ग कुल पूँजीगत लाभ (क v + ख iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	7iii ग			
	घ धारा 115खख के तहत 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ			
	ड कुल पूँजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ड			
iv	अन्य स्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस के मद संख्या 9 के अनुसार]	7iv			
v	कुल (7i + 7ii + 7iii ग + 7iv)	7v			
8	सकल आय [6+7v-4-5] +3	8			
9	8 के विरुद्ध वर्तमान वर्ष को हानि का समायोजन करना (अनुसूची सी बाई एल ए के 2ix, 3ix और 4ix का कुल योग)	9			
10	सकल कुल आय (8-9)	10			
11	(अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का कुल योग) 10 में शामिल आय तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य	11			
12	दर प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय	12			
13	कुल आय (10-11-12+13) [लागू यदि (10-11-12) कर प्रभार्य के लिए अधिकतम राशि ज्यादा हो]	13			
14	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	14			

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसर्वे परंतुक के तहत कर प्रभार्य

1. जनरल के भाग क के क्रम सं.(26) यदि हां तो कारण का उल्लेख करें, क्यों धारा 10 या धारा 13 की उपधारा 10 के बाइसर्वे परंतुक के खंड (23ग) के उपबंध के प्रयोज्य है?			
(क)	धारा 2 के खंड (15) के परंतुक के उपबंध प्रयोज्य है।		हां/नहीं
(ख)	धारा 12क की उपधारा के खंड (क) के उपखंड (i)/10(23घ) के दसर्वे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।		हां/नहीं
(ग)	धारा 12क की उपधारा के खंड (ख) के उपखंड (ii)/10(23घ) के दसर्वे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।		हां/नहीं
(घ)	धारा 12क की उपधारा के खंड (खक)/10(23ग) के बीसर्वे परंतुक में निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है।		हां/नहीं

II. जनरल के भाग क के क्रम सं. (26) यदि हां तो धारा 10 या धारा 13 की उपधारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के तहत प्रभार्य आय की संगणना करें।			
1	क्रम सं.7 के अलावा गत वर्ष के लिए कुल आय		रकम रु. में
2	निर्धारित के सामान के लिए भारत में कुल व्यय किया गया		रकम रु. में
3	अनुज्ञात व्यय		
	(i)	ट्रस्ट या संस्थान के नाम जमा कोष से व्यय वित्त वर्ष के अंत पर पूर्ववर्ती वर्ष प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।	रकम रु. में
	(ii)	अन्य ऋण या उधार या व्यय	रकम रु. में
	(iii)	परिसंपत्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अधिग्रहण आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष ;तथा	रकम रु. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को संदान या योगदान के रूप में व्यय	रकम रु. में
	(v)	पूँजीगत व्यय	रकम रु. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40क की उपधारा 3, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण के तहत अननुज्ञात राशि अथवा धारा 40 की उपधारा 3, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के साथ पठित स्पष्टीकरण	रकम रु. में
	(ix)	कोई अन्य निषेध	रकम रु. में
	(x)	कुल व्यय जिसे निषेध किया जाना है (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)	रकम रु. में
4	योग		
	(i)	धारा 115खखझ के तहत प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>	रकम रु. में
	(ii)	धारा 11 के तहत आय अज्ञात संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रु. में
	(iii)	धारा 12(2) के तहत प्रभार्य आय	रकम रु. में
	(iv)	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रु. में
	(v)	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रु. में
	(vi)	कुल योग (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)	रकम रु. में
5	धारा 11(4) के तहत प्रभार्य आय		रकम रु. में
6	कुल राशि [(1-2+3x)+4vi+5]]		रकम रु. में
7	उपयुक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है		
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 4] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रु. में
	iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के तहत आय	
	क	अल्पकालिक	
	काi	@ 15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9ii)	रकम रु. में
	काii	@ 30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का)	रकम रु. में
	काiii	अनुप्रयोज्य दर पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9iv)	रकम रु. में
	काiv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9v)	रकम रु. में
	कv	कुल अल्पकालिक (क i + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
	ख	दीर्घकालिक	
	खाi	दीर्घकालिक @ 10% की दर से प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9vi)	रकम रु. में
	खाii	@ 20% की दर से प्रभार्य दीर्घकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9vii)	रकम रु. में
	खाiii	डी.टी.ए. के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 9viii)	रकम रु. में
	खाiv	कुल दीर्घकालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में

	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (क + ख + iv) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रु. में
	घ	धारा 115खखग के तहत @ 30% की दर से प्रभावी पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रु. में
	ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रु. में
	iv	अन्य स्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रु. में
	v	कुल (7i+7ii+7iii+7iv)	रकम रु. में
8	7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियां जो लगाई जानी है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xiv, 3xiv और 4xiv का योग)		रकम रु. में
9	कुल आय (6+7-8)		रकम रु. में
10	आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभावी है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)		रकम रु. में
11	धारा 115खखग के तहत @ 30% के दर से अज्ञात संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)		रकम रु. में
12	धारा 115खखग के तहत @ 30% की दर से 10 में शामिल प्रभावी आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खखग की क्रम सं. 9)		रकम रु. में
13	धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसेवें परंतुक अथवा धारा 13 की उपधारा(10) के तहत कर प्रभावी आय (10-11-12-13)		रकम रु. में

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (13-14-15-16) भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (14-15) भाग- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 14, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	1ख	
	ग	@ 30% की दर से धारा 115खखग के तहत अज्ञात संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1ग	
	घ	@ 30% की दर से 115खखग के तहत प्रभावी आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 13, भाग ख- कुल आय के भाग ख 3 के]	1घ	
	ड	अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 15, भाग ख- कुल आय के भाग ख 1 के	1ड	
	च	कृषि आय पर छूट [भाग 2 में अनुपयुक्त यदि (10-11-12) भाग ख- कुल आय अधिकतम राशि पर प्रभावी से अधिक नहीं है।]	1च	
	छ	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड - 1च)	1छ	
2	अधिभार			3
	i	अनुसूची घझ का 13 का 25%	2i	
	ii	पर (1छ - अनुसूची घझ का 13)	2ii	
	iii	कुल (i + ii)	2iii	
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)			3
4	सकल कर दायित्व (1छ + 2iii + 3)			4
5	कर राहत			
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क	
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	5ख	
	ग	कुल (5क+5ख)	5ग	
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)			6
7	देय फीस और ब्याज			
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग	
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ	
	ड	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)	7ड	
8	कुल दायित्व (6+7ड)			8

संदत कर	9	संदत कर					
	क	अग्रिम कर (15क का स्तंभ 5)		9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख का स्तंभ 9)		9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण [15ग का स्तंभ 7(i)]		9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क का स्तंभ 5)		9घ			
	ड	कुल संदत कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ड			
	10	संदेय रकम (यदि 8, 9ड से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)				10	
	11	प्रतिदाय (यदि 9ड, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				11	
	12	धारा 115नड के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)				12	
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां अथवा नहीं का चयन करें	
		क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)					
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	डिजीटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें	उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे(प्रतिदाय के लिए एक खाते को ☒ करें)
		i					
		ii					
		नोटः					
		1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।					
		2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
		ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:					
	क्रं सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन		
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय				☐ हां ☐ नहीं	
	(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।						
	(ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या						
	(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आहूत? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)						

15 अनुसूची-आयकर	
क	अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे
क्रं.सं.	बी.एस.आर कोड
	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/व-ई)
	चालान की क्रम संख्या
	रकम (रुपए में)
i	
ii	
iii	
iv	
v	
vi	
टिप्पण ▶	भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग/16घ के अनुसार]												
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना/आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार/क्रेता का पैना/आधार	अग्रणीत अदावाकृत टीडीएस	चाहू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट/आहरण	अग्रणीत टीडीएस क्रेडिट				
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रणीत टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैना/आधार			
i												

ग स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27 के अनुसार]											
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
					वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया (यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)	
	(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
i									टी.सी.एस पैन		
ii											
टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टीडीआई के 9ग में स्तंभ (7i) का योग भरें											

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें ➔.

[अधिसूचना सं. 05 /2023/फा.सं. 370142/2/2023-टीपीएल]

प. अमृता वर्षिणी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 91(अ) तारीख 10 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था।